प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः एस0पी0एम0यू0/कम्यू0प्रो0/वी0एच0एस0एन0सी0/2018–19/10/7438-75 दिनांकः 11.10.2018

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपकेन्द्रों तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों हेतु अन्टाइड धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपकेन्द्रों तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों हेतु अन्टाइड धनराशि के सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं।

उपकेन्द्र अन्टाइड धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश :–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एफ.एम.आर. कोड संख्या–4.1.5 के अन्तर्गत उपकेन्द्रों हेतु अन्टाइड धनराशि हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उक्त अनुमोदन के सापेक्ष अनटाइड फण्ड की प्रथम किश्त के रूप में रू0 10000 प्रति उपकेन्द्र की दर से धनराशि डैप के माध्यम से जनपदों को आवंटित की जा चुकी है। उक्त धनराशि दिनांक 01.04.2018 को उपकेन्द्र के खाते में उपलब्ध शेष धनराशि के आधार पर अवमुक्त किया जाना था।

असम्बद्ध धनराशि की द्वितीय किश्त के रूप में शेष धनराशि उपरोक्त Differencial Financing को ध्यान में रखते हुये, वित्तीय वर्ष 2017–18 के KPI Data के आधार पर निम्नानुसार आवंटित किया जाना है।

1. प्रतिमाह 30 से अधिक प्रसव होते हैं, तो ऐसे उपकेन्द्रों को कुल धनराशि रू0 40000 अर्थात् द्वितीय किश्त के रूप में रू0 30000 देय है।
2. प्रतिमाह 10–30 प्रसव होते हैं, तो ऐसे उपकेन्द्रों को रू0 30000 अर्थात् द्वितीय किश्त के रूप में रू0 20000 देय है।
3. प्रतिमाह 1–9 प्रसव होते हैं, तो ऐसे उपकेन्द्रों को रू0 20000 अर्थात् द्वितीय किश्त के रूप में रू0 10000 देय है।
4. सरकारी भवनों वाले उपकेन्द्र जहाँ प्रसव नहीं कराये जाते हैं ऐसे उपकेन्द्रों को रू0 15000 अर्थात् द्वितीय किश्त के रूप में रू0 5000 देय है।
5. किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों हेतु रू0 10000 प्रति उपकेन्द्र आवंटित किया जा चुका है। इन उपकेन्द्रों को द्वितीय किश्त के रूप में कोई धनराशि देय नहीं होगी।
6. इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त नवीन दिशा–निर्देशों के अनुसार जिन उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेश सेण्टर के रूप में सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है, उन्हें वर्ष में कुल धनराशि रू0 50000 अनटाइड धनराशि के रूप में देय होगी अर्थात् द्वितीय किश्त के रूप में रू0 40000

देय होगी। इस प्रकार के उपकेन्द्रों हेतु प्रसव के आधार पर अनटाइड धनराशि की गणना नहीं की जायेगी।

नोट–उदाहरण के लिये यदि किसी उपकेन्द्र में औसतन प्रतिमाह 20 प्रसव कराये जाते हैं तो उपरोक्तानुसार इस उपकेन्द्र के लिये कुल अनुमन्य धनराशि रू0 30000 होगी। यदि उक्त उपकेन्द्र के खाते में 01.04.2018 को रू0 8000 की धनराशि शेष है तो उसे प्रथम किश्त के रूप में रू0 2000 एवं द्वितीय किश्त के रूप में शेष रू0 20000 की धनराशि प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार यदि उपकेन्द्र के खाते में 01.04.2018 को रू0 15000 शेष है तो उसे प्रथम किश्त के रूप में कोई धनराशि नहीं देय होगी एवं द्वितीय किश्त के रूप में शेष रू0 15000 की धनराशि प्रदान की जायेगी।

- असम्बद्ध धनराशि केवल उन उपकेन्द्रों को अवमुक्त किया जाये जहाँ प्रधान एवं उपकेन्द्र की ए0एन0एम0 का संयुक्त खाता खुला हो अथवा मिशन निदेशक के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./एस.सी./3ए–II/2015–16/05/10021–75 दिनांक 17.02.2017 के अनुसार उपकेन्द्र असम्बद्ध धनराशि के खाते संचालित किये जा रहे हैं।
- उपकेन्द्र स्तर पर ग्राम प्रधान के साथ खोले गये खाते में इलेक्ट्रॉनिकली/बैंक एडवाइस के माध्यम से धनराशि स्थानांतरित की जायेगी।
- उपकेन्द्र द्वारा धनराशि व्यय करने हेतु कार्ययोजना बनाकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत (जिस ग्राम पंचायत में उपकेन्द्र स्थित है) की ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा एवं समिति के अनुमोदनोपरान्त धनराशि का व्यय किया जा सकेगा। यदि उपकेन्द्र द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायत के लोगों को सेवायें प्रदान की जाती है तो इस बैठक में अन्य ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के दो सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है।
- वार्षिक कार्ययोजना बनाने के लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक उपकेन्द्र पर औषधियों/उपकरणों/अभिलेखों की एक स्टैन्डर्ड लिस्ट तैयार कर ली जाये। उपकेन्द्रों पर स्टैण्डर्ड लिस्ट के अनुसार उपकेन्द्र द्वारा दी जा रही सेवाओं के आधार पर वार्षिक कार्ययोजना बनाई जाये। इस हेतु अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उपकेन्द्रों का अनुश्रवण करेंगे तथा ए0एन0एम0 को सहयोग प्रदान करेंगे।
- यदि किसी आकस्मिक स्थिति में व्यय की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में प्रधान एवं संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता/ए0एन0एम0 द्वारा संयुक्त निर्णय कर व्यय किया जा सकता है, परन्तु इसे सम्बन्धित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

- बैठक की कार्यवृत्त उपकेन्द्र स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी। उपकेन्द्र द्वारा माह में किये गये व्यय की सूचना मासिक रूप से ब्लॉक स्तर पर प्रेषित की जायेगी। जहाँ से संकलित कर जिला स्तर पर प्रेषित की जायेगी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद स्तर पर प्रत्येक माह, अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की मासिक बैठक में इसका अनुश्रवण करेंगे।
- उपकेन्द्र द्वारा व्यय की गई धनराशि के समस्त अभिलेख सुरक्षित रखें जायेंगे। प्रत्येक वर्ष जनपद के 2 से 3 प्रतिशत उपकेन्द्रों के अन्टाइड खातों का रैण्डम आधार पर सत्यापन जिला स्तरीय लेखा अधिकारी/जिला लेखा प्रबंधक द्वारा अवश्य कराया जाये। सत्यापन की संकलित रिपोर्ट को मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबधंन इकाई तथा परिवार कल्याण महानिदेशालय को अवश्य प्रेषित की जाये। जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष 2017–18 तक के उपकेन्द्रों के अन्टाइड खातों का रैण्डम आधार पर सत्यापन 30 सितम्बर, 2018 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।
- प्रत्येक उपकेन्द्र से उपयोगिता प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाये तथा व्यय विवरण जनपद स्तर पर निश्चित FMR कोड में अंकित कर भेजा जाय।

अन्टाइड धनराशि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जा सकता है–

1. उपकेन्द्र में पर्दे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बल्ब इत्यादि की व्यवस्था।
2. आकस्मिक परिस्थितियों (एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध न होने की दशा में) में रोगियों को संदर्भन इकाई तक ले जाने की व्यवस्था।
3. महामारी के दौरान नमूना जाँच की लाने ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था।
4. उपकेन्द्र में पट्टी इत्यादि के क्रय हेतु।
5. प्रसवपूर्व/पश्चात् देखभाल हेतु वजन मापने, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन एवं यूरिन की जाँच आदि के लिए मशीन/किट का क्रय/मरम्मत कराना।
6. डिसइन्फैक्टैन्ट एवं ब्लीचिंग पाउडर क्रय करने हेतु।
7. पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता अभियान हेतु।
8. ग्रामीण स्तर पर सामाजिक मोबिलाइजेशन एवं सामुदायिक स्तरीय गतिविधियों हेतु।
9. उपकेन्द्र स्तर पर भवनों में लघु परिवर्तन तथा लघु मरम्मत के कार्य जैसे– फर्नीचर एवं उपकरणों की मरम्मत जो कि स्थानीय स्तर पर किया जा सकता हो।
10. प्रत्येक प्रकार की मरम्मत कार्य एवं नवीनीकरण किया जाना जिसमें आवासीय भवन भी सम्मिलित है।
11. सैप्टिक टैंक/शौचालय का निर्माण, मरम्मत एवं साफ–सफाई।
12. जल भंडारण टैंक (क्रय, स्थापना, निर्माण, मरम्मत साफ–सफाई इत्यादि)।
13. रंगाई–पुताई।

14. बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट (कूड़ेदान, गढ्ढे, निःसंक्रामक) की व्यवस्था।
15. उपकेन्द्र तक जाने वाले रास्ते की मरम्मत एवं सुदृढ़ता।
16. उपकेन्द्र के प्रांगण का सौन्दर्यीकरण।
17. उपकेन्द्र में तदर्थ साफ–सफाई जैसे प्रसव के तुरन्त बाद सफाई।
18. आशा एवं आँगनवाड़ी की मासिक बैठकों का आयोजन। (उपकेन्द्र स्तरीय मासिक बैठक/AAA प्लेटफार्म)

नोट–

1. *धनराशि के उपयोग के समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त मद में किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गई हो।*
2. *भवन की मरम्मत, निर्माण कार्य, सौन्दर्यीकरण आदि मदों में कुल अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं किया जाये।*
3. *उपरोक्त गतिविधियों के लिए क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उक्त मशीनें/किट जिला अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध न हो अथवा किसी अन्य मद से उक्त गतिविधियों के लिए बजट आवंटित न हो।*

वित्त पोषण

- उपकेन्द्र असम्बद्ध धनराशि का वित्त पोषण नवीन एफ.एम.आर. कोड संख्या 4.1.5 (पूर्व एफ.एम. आर. कोड संख्या–बी 2.5) पर किया जायेगा। धनराशि जनपदों से प्राप्त जनपदीय कार्ययोजना एवं KPI के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। यदि आपके संज्ञान में कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका औचित्य देते हुए अतिरिक्त धनराशि की मांग के प्रस्ताव को भेजना सुनिश्चित करें।
- आप अवगत हैं कि CAG ऑडिट दल द्वारा कतिपय जनपदों में अन्टाइड धनराशि के उपयोग में गम्भीर आपत्तियां उठाई गई थीं। अतः यह सुनिश्चित करें कि समस्त नियमों का पूर्ण पालन किया जाये एवं ऐसा कोई कार्य न करें जिससे ऑडिट द्वारा आपत्ति की जाये। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी जायेगी तो व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। किसी भी बिन्दु पर संशय की स्थिति उत्पन्न होने पर उसका निराकरण परिवार कल्याण महानिदेशालय/मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय के सम्बन्धित अनुभाग से अवश्य करा लिया जाये।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति अन्टाइड धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी नागरिकों, विशेषतः निर्धन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्ग को सुलभ, प्रभावी एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विकेन्द्रीकरण (Decentralization) अति आवश्यक है। ग्राम सभा द्वारा अपने–अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार "ग्राम

स्वास्थ्य कार्य योजना" बनाकर समुदाय के निर्धन वर्ग, महिलाओं की आवश्यकताओं, हितों एवं अपेक्षाओं के विषय में स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी देने एवं सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिगत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग–9 के शासनादेश संख्या–56/2017/805/पॉच–9–2017–9 (37)/07 दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित मिशन निदेशक के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यो.प्रो./वी.एच.एस.एन.सी./2013–14/10/8256–75 दिनांक 08.11.2017 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में प्रति राजस्व ग्राम (500 से अधिक जनसंख्या–जनगणना–2011 के आधार पर) रू0 10000 की वार्षिक असम्बद्ध धनराशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष–2018–19 हेतु प्रथम किश्त के रूप में FMR कोड संख्या बी 2.6 (नवीन FMR कोड संख्या 4.1.6) के अंतर्गत अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत रू0 5000 प्रति ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की दर से जनपदों को डैप के माध्यम से आवंटित की जा चुकी है। द्वितीय किश्त के रूप में रू0 5000 प्रति जनपदों को डैप के माध्यम से आवंटित की जा रही है।

उपलब्ध धनराशि निम्न शर्तों के अनुसार ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में टॉपअप किया जाना है :–

1. धनराशि केवल उन राजस्व ग्रामों (500 से अधिक जनसंख्या–जनगणना–2011 के आधार पर) को स्थानान्तरित की जाये जिनके द्वारा नियमानुसार ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति का खाता बैंक में उपलब्ध है। उक्त खाता इन्टीग्रेटेड बैंक में खोला जाये एवं PFMS पोर्टल पर पंजीकृत करा लिया जाये।
2. वर्ष 2018–19 के लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समस्त ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में 01.04.2018 को शेष उपलब्ध धनराशि की जानकारी सम्बन्धित कार्मिक से अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर ली जाये।
3. पूर्व की भाँति इस वर्ष भी ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में अवशेष धनराशि का समायोजन किया जाना है। अतः ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में 01.04.2018 को उपलब्ध धनराशि के अनुसार प्रथम किश्त प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि के रूप में कुल धनराशि रू0 10000 की सीमा तक अवमुक्त की जाये।

नोट– उदाहरण के लिए किसी ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में दिनांक 01.04.2018 को रू0 1500 अवशेष है तो उस ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को रू0 5000–1500 = रू0 3500 की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में आवंटित की जायेगी एवं शेष रू0 5000 द्वितीय किश्त के रूप में आवंटित की जायेगी। यदि किसी ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में दिनांक 01.04.2018 को रू0 7500 अवशेष है तो उस ग्राम स्वास्थ्य,

स्वच्छता एवं पोषण समिति को रू0 रू0 2500 द्वितीय किश्त के रूप में आवंटित की जायेगी। यदि किसी ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में दिनांक 01.04.2018 को रू0 10000 से अधिक की धनराशि अवशेष है तो उस ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को इस वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

4. **"ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति"** द्वारा धनराशि के व्यय करने से पूर्व ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर ग्राम स्वास्थ्य कार्य योजना बनायी जाये। प्राप्त करायी गयी धनराशि को योजना के अनुरूप ही व्यय की जाये और व्यय सम्बन्धी वाउचर सम्बन्धित आशा तथा आँगानवाड़ी, निर्वाचित सदस्य/प्रतिनिधि में से किसी दो के हस्ताक्षर कराये जाये जिससे कि आवंटित धनराशि का व्यय समुचित रूप से सुनिश्चित किया जा सके।
5. भारत सरकार के आदेश संख्या Z-18015/12/2012-NRHM-II दिनांक 3 जुलाई, 2012 के अनुसार निर्देशित किया जा रहा है कि "ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति" की प्रत्येक माह बैठक आयोजित करायी जाय।
6. ग्राम पंचायत को यदि किसी अन्य योजना यथा नरेगा, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन अथवा अन्य किसी योजना में धनराशि प्राप्त हुई है तो ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाते समय उपलब्ध धनराशि का ध्यान रखा जाये तथा धनराशि का व्यय इस प्रकार से किया जाये कि धनराशि का दुरूपयोग अथवा डुप्लीकेशन न हो।
7. जिस ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा समय से कार्य योजना अनुसार व्यय नहीं किया जाता है अथवा व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आगामी वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी तथा राशि स्वतः लैप्स हो जोयगी जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की होगी।
8. प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति से उपयोगिता प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाये तथा व्यय विवरण जनपद स्तर पर निश्चित FMR कोड में अंकित कर प्रतिमाह प्रेषित किया जाय।

अन्टाइड धनराशि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जा सकता है–

1. ग्राम स्वच्छता एवं सफाई अभियान।
2. स्रोत घटाना – मच्छरों का प्रजनन कम करने के लिए।
3. स्वास्थ्य मेला या स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना।
4. आंगनवाड़ी केंद्रों और उपकेंद्रों में सुविधाएं बढ़ाना/सुधार करना।
5. आकस्मिक/लघु खर्च (मासिक वी.एच.एस.एन.सी. बैठक में चाय, बिस्कुट)।
6. निर्धन रोगियों के लिए आपातकालीन वाहन– जहां उनकी नियमित व्यवस्था विफल हो जाती है।
7. स्कूली स्वास्थ्य गतिविधियां।

8. स्थानीय रूप से निर्धारित ऐसे कार्य कराने के लिए आशा को प्रोत्साहन राशि। (जो उस गांव विशेष के लिए अत्यंत विशिष्ट हैं)।
9. हेल्थ प्रमोशन दिवस के अवसर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में भी आवश्यकतानुसार असम्बद्ध धनराशि का उपयोग किया जा सकता है परन्तु यह धनराशि किसी भी दशा में रू 150 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

वित्त पोषण

- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति असम्बद्ध धनराशि का वित्त पोषण नवीन एफ.एम.आर. कोड संख्या 4.1.6 (पुरानी एफ.एम.आर. कोड संख्या–बी 2.6) पर किया जायेगा। यदि आपके संज्ञान में कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका औचित्य देते हुए अतिरिक्त धनराशि की मांग के प्रस्ताव को भेजना सुनिश्चित करें।
- आप अवगत हैं कि CAG ऑडिट दल द्वारा कतिपय जनपदों में अन्टाइड धनराशि के उपयोग में गम्भीर आपत्तियां उठाई गई थीं। अतः यह सुनिश्चित करें कि समस्त नियमों का पूर्ण पालन किया जाये एवं ऐसा कोई कार्य न करें जिससे ऑडिट द्वारा आपत्ति की जाये। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी जायेगी तो व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। किसी भी बिन्दु पर संशय की स्थिति उत्पन्न होने पर उसका निराकरण परिवार कल्याण महानिदेशालय/मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय के सम्बन्धित अनुभाग से अवश्य करा लिया जाये।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– **"ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति"** के समस्त अध्यक्षों (प्रधानों) एवं सदस्य सचिव (नामित आशा) की बैठक तहसील वार करके उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दी जा रही धनराशि के व्यय में विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरतने व रिकार्ड रखने के निर्देश दे दिये जायें एवं ग्राम स्वास्थ्य कार्य योजना बनाने सम्बन्धी प्रपत्र को प्रधानों में पर्याप्त संख्या में मुद्रित कराकर वितरित करायें। पर्यवेक्षण के लिये सत्यापन योग्य मानक नीचे तालिका में दिये जा रहे हैं, का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

विमः Verifiable Indicator for Monitoring

VIM No 32

Untied fund for VHSNC
VIM Indicators: 1. Fund utilized as per approved annual plan 2. Fund will be transferred from DHS to a/c of VHSNC electronically through Supdt./MoI/C.
Verification of Indicators: 1. Annual plan submission. 2. Report of fund utilization as per plan approved by DHS.
Mode of Disbursement:

1. The State will release 50% in first installment itself to the DHS and the later will disburse the amount to CHC/PHC on the basis of adjusting the released amount with the Balance amount of the VHSNC account as on 01 April, 2018.
2. Fund will be transferred from DHS to CHC/PHC a/c through PFMS portal.
3. Fund will be transferred from CHC/PHC account, electronically/ through PFMS portal in to the joint account of Gram Pradhan and Member Secretary (Nominated ASHA) to VHSNC.

Guidelines:

1. Joint (Gram Pradhan and Member Secretary/Nominated ASHA) Bank account of VHSNC is essential.
2. All VHSNC will prepare their annual plan for expenditure under untied fund.
3. All expenditure has to be done as per approved plan.

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों का नियमित पर्यवेक्षण करने हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सहयोग से विस्तृत कार्य योजना बनायी जाये। कार्य योजना में ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों में कम से कम एक ब्लॉक स्तरीय पर्यवेक्षक (जैसे– पुरूष एवं महिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक प्रतिरक्षण अधिकारी, ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं अन्य चिकित्साधिकारी आदि) द्वारा प्रतिभाग किया जाये। पर्यवेक्षण कार्य योजना की एक प्रति जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर को उपलब्ध करायी जाय, जिससे जिला एवं राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक भी इन बैठकों का पर्यवेक्षण कर सकें। पर्यवेक्षण हेतु राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा अनुमोदित चेकलिस्ट का उपयोग किया जाये। जिला एवं राज्य स्तरीय अधिकारी अपने ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों का भ्रमण के समय इन चेकलिस्टों को अवश्य देखें।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के द्वारा किये गये व्ययों का विवरण वाउचर सहित नियमानुसार सुरक्षित रखा जाये तथा ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जाये। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा व्यय की गई धनराशि के समस्त अभिलेख सुरक्षित रखें जायेंगे। प्रत्येक वर्ष जनपद की 2–3 प्रतिशत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खातों का रैण्डम आधार पर सत्यापन जिला स्तरीय लेखा अधिकारी/जिला लेखा प्रबंधक द्वारा अवश्य कराया जाये। सत्यापन की संकलित रिपोर्ट को मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई तथा परिवार कल्याण महानिदेशालय को अवश्य प्रेषित की जाये।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक,

पत्रांकःएस0पी0एम0यू0/कम्यू0प्रो0/वी0एच0एस0एन0सी0/2018–19/10/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ।
7. निदेशक, एम0सी0एच0/परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. महाप्रबंधक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा–निर्देश को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला लेखा प्रबंधक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिये गये उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराना तथा व्यय विवरण राज्य स्तर पर समय से प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
12. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त रीजनल कोऑर्डिनेटर (आशा), उत्तर प्रदेश।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।

(डा0राजेश झा)
महाप्रबन्धक, कम्यू0प्रो0